न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 17/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा विक्रेता मैसर्स — श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा
   स्थाई पता — मकान संख्या 50—51 वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा।
2. श्री रामनिवास लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा मलिक मैसर्स — श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा
   स्थाई पता — म.सं. 50—51 वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा।

——विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 27.06.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प—1(2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा विक्रेता मैसर्स — श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान पर रखे एक डीप फ्रीज में स्टील के 15—15 लीटर के ड्रम में लगभग 8—10 लीटर आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) रखी हुई थी। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता ने बताया कि उक्त आईसक्रीम का निर्माण हाईफेट से किया जाता है। मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु एफएसएस एक्ट 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में भर कर दी व रसीद प्राप्त की।

गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में डीप फ्रीज में रखे हुए आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) के बॉक्स को बाहर निकालकर, सामान्य तापक्रम आने तक रखा गया। बाद में एक साफ सूखी स्टील की चम्मच से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक रूप करके, वास्ते जाँच बाबत् 1200 ग्राम आईसक्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) को एक साफ सूखे खाली स्टील के भगोनें में खरीदा एवं खरीदाशुदा आईस्क्रीम का भुगतान नकद 350/— अक्षरे तीन सौ पचास रूपये देकर रसीद प्राप्त की। नियमानुसार आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत निर्माता फर्म को रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया । पत्र के प्रति उत्तर में निर्माता फर्म द्वारा फर्म के खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की। विपक्षीगण संख्या 01 से 02 के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर, प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म—6 मेमोरेण्डम, नमूना लिये गये फर्म से किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियां एवं प्राप्त प्रति उत्तर, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.05.2015 को समय 11:40 AM बजे, बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स — श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी, स्थाई पता — मकान सं. जी — 18, बसंत विहार, भीलवाडा (राज.) पर पहूंचा। मैनें विक्रेता को परिचय दिया । परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया । इस समय दुकान/परिसर पर विक्रेता की हैसियत से श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा विक्रेता उम्र 48 वर्ष, जाति — लढा, निवासी — मकान संख्या 50—51 वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा (राज.) उपस्थित था एवं आम जनता को आईस्क्रीम, शेक, ज्यूस इत्यादी का निर्माण कर आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बने खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई। विक्रेता/मालिक द्वारा वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेंस बना हुआ होना बताया एवं बाद में पेश करने बाबत् निवेदन किया।

इन खरीदशुदा आईसक्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) को पुनः हिला मिलाकर एकरूप करके चार बराबर—बराबर भागों में बांटकर, चार अलग—अलग साफ, सूखे, खाली चौडे मुंह की प्लास्टीक के कन्टनरों में भरकर, प्रत्येक कन्टनरों में 36—36 बूंदे फोर्मलीन बतौर प्रीजरेटिव डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स—118 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग—अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर

एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–118 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाह ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया । जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था, उसका मोनोग्राम मौके पर पंचनामें पर अंकित किया गया । साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता से लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स–118 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं क्रमांक L.S.318/Act/2016/368 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म की संविधान की जानकारी प्राप्त कर, न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षीगण संख्या 1 श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा विक्रेता मैसर्स – श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा एवं विपक्षीगण सं. 02 श्री रामनिवास लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा मालिक मैसर्स – श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड आईस्क्रीम **(वनिला फ्लेवर, हाईफेट)** का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 01.03.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.04.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामलें में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित एवं विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.318/Act/2016/368 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड Substandard होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये नमूने में आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) Milk Fat मात्र 1.06 प्रतिशत ही पाई गई। जबकि खाद्य नमूने में Milk Fat मात्र 10 प्रतिशत से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए निर्माता फर्म द्वारा लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटी का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया है।**

प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण सख्या 01 से 02 के विरूद्ध सबस्टेण्डर्ड आईस्क्रीम का निर्माण एवं विक्रय करने का अपराध करने के लिए जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली निर्माता फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली निर्माता फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षीगण ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनके द्वारा सरस डेयरी द्वारा निर्मित गोल्ड दूध से आइस्क्रीम का निर्माण किया जाता है । साथ ही निवेदन किया कि भविष्य में फेट की मात्रा जाँच कर ही आइस्क्रीम का निर्माण किया जायेगा। साथ ही निवेदन किया कि प्रथम अपराध मानते हुए क्षमा करने की प्रार्थना की गई।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं कमांक L.S.318/Act/2016/368 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.318/Act/2016/368 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये नमूने में आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) Milk Fat मात्र 1.06 प्रतिशत ही पाई गई। जबकि खाद्य नमूने में Milk Fat मात्र 10 प्रतिशत से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए निर्माता फर्म द्वारा लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटी का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया है।** विपक्षीगण संख्या 01 श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा विकेता मैसर्स–श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा एवं विपक्षीगण सं. 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) का विक्रय एवं निर्माण किया गया है।

विपक्षीगण संख्या 01 व 02 सबस्टेण्डर्ड हाईफेट आइस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) का निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधानों को मध्यनजर रखतें हुये विपक्षीगण सख्या 01 व 02 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी सं. 01 व 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड आईस्क्रीम (वनिला फ्लेवर, हाईफेट) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन है। अतः विपक्षी सं. 01 व 02 पर अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 पर 15,000/-रू. (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 02 पर 15,000/-रू. (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) कुल 30,000/-रू. (अक्षरे तीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 व 02 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/06/17
(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री सत्यनारायण लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा विकेता
   मैसर्स — श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी
   स्थाई पता — मकान सं. जी — 18, बसंत विहार, जिला भीलवाडा (राज.)
   श्री रामनिवास लढा पुत्र श्री कन्हैयालाल लढा मालिक
   मैसर्स — श्रीराम आईस्क्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा
   स्थाई पता — म.सं. 50—51 वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा।

27/06/17
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)